न्यायालय सुनील भाटी, आर.ए.एस. सम्पदा अधिकारी एवं अति0 कलक्टर (न्याय), एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर

प्रकरण सख्याः 01/2017

राजस्थान सरकार जरिये संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जरिये प्रभारी अधिकारी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक विभाग, नगर खण्ड तृतीय मुख्यालय जयपुर

प्रार्थी

बनाम्

श्री देवेन्द्र कुमार जैन, आर.ए.एस., पूर्व जिला रसद अधिकारी–II, कार्यालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर, निवासी–राजकीय आवास सं. III/118- A.V.S. गांधीनगर, जयपुर

अप्रार्थी

(परिवाद अन्तर्गत राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 बाबत् राजकीय आवास संख्या III/118 A.V.S. गांधीनगर, जयपुर का कब्जा दिलाने।)

उपस्थितः–

1. श्री डी.पी. सैनी, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर प्रार्थी स्वयं।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 08.02.2017

प्रार्थी, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड तृतीय मुख्यालय जयपुर द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कि आवास संख्या III/118 A.V.S. गांधीनगर, जयपुर स्थित राजकीय सम्पति है, जिसे अप्रार्थी श्री देवेन्द्र कुमार जैन को राजकीय आवास आंवटन नियम,1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2), विभाग के आदेश क्रमांक एफ.3(1)सा.प्र. /2/2014 पार्ट–II जयपुर दिनांक 20.02.2015 द्वारा आवन्टित किया गया हैं। किराये पर आवंटी अप्रार्थी श्री देवेन्द्र कुमार जैन का जिला रसद अधिकारी–II, जयपुर के पद से उप खण्ड अधिकारी, पहाडी, जिला भरतपुर के पद पर स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात् निर्धारित अवधि के एक माह पश्चात् भी आवास को रिक्त कर कब्जा नही सम्भलाया है, जबकि आवास रिक्त किये जाने हेतु समुचित रुप से अप्रार्थी को ताकीद की गई है, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी से राजकीय आवास सं0 III/118 A.V.S. गांधीनगर, जयपुर को रिक्त कराया जाकर वास्तविक कब्जा दिलाया जावे एवं नियमानुसार किराया/हर्जा राशि वसूल कराई जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं इसके सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन पर प्रथम–दृष्ट्या यह समाधान होने पर कि प्रकरण अधीन आवास राजकीय है और इसमें आवंटी अप्रार्थी द्वारा अप्राधिकृत रुप से अधिवास किया जा रहा हैं। अधिनियम,1964 की धारा 4(1) के सपठित राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) नियम,1966 में निर्धारित प्ररुप "क" में अप्रार्थी के निमित दिनांक 04.01.2017 को नोटिस जारी किया गया जिसकी तामील होने पर अप्रार्थी स्वयं न्यायालय में हाजिर आये और जवाब प्रस्तुत किया। वरवक्त बहस अप्रार्थी अनुपस्थित रहे अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की बहस समाअत की गई है।

विद्वान् प्रार्थी श्री डी.पी. सैनी, अधिशाषी अभियन्ता का कथन है कि प्रकरण अधीन आवास राजकीय आवास संख्या ।।।/118 A.V.S. है, जो गांधीनगर में स्थित है। इस राजकीय आवास को राजकीय आवास आवंटन नियम,1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रार्थी को शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2), विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 3(1)सा.प्र./2/2014 पार्ट–।। जयपुर दिनांक 20.02.2015 द्वारा आवन्टित किया गया है और इस आवंटन नियम,1958 के प्रावधानानुसार आवंटी को स्थानान्तरण के परिणाम–स्वरुप कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास को रिक्त कर कब्जा सम्भलाया जाना आवश्यक है, किन्तु कार्यमुक्ति के एक माह पश्चात अवधि गुजरने एवं समुचित रुप से ताकीद करने के पश्चात भी राजकीय आवास को रिक्त कर वापिस सम्भलाया नही गया हैं। अतः अप्रार्थी द्वारा राजकीय आवास संख्या ।।।/118 A.V.S. गांधीनगर, जयपुर में अप्राधिकृत रुप से अधिवास किया जा रहा है। अप्राधिकृत रुप से अधिवासित अप्रार्थी देवेन्द्र कुमार जैन के निमित सम्पदा अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की तामील अप्रार्थी को हुई हैं। अप्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया है। जिसमें कोई सार नही है। जयपुर में स्थानान्तरण/पदस्थापन होने पर अप्रार्थी को नियमानुसार पुनः आवंटित नही किया गया है। परिणामतः अप्रार्थी अनाधिकृत रुप से काबिज हैं और उनके द्वारा सरकारी आवास को रिक्त नही किया गया है। अतः राजकीय आवास रिक्त कराया जाकर कब्जा सम्भलाया जावें किराये व हर्जा–खर्चा की पृथक से कार्यवाही की जावेगी।

हमने विद्वान् प्रार्थी श्री डी.पी. सैनी, अधिशाषी अभियन्ता की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2), विभाग के आदेश क्रमांक एफ.3(1)सा.प्र./2/2014 पार्ट–।। जयपुर दिनांक 20.02.2015 के अवलोकन से जाहिर होता है कि गांधीनगर, जयपुर स्थित आवास संख्या ।।।/118 A.V.S. सरकारी आवास है, राजकीय आवास आंवन्टन नियम,

1958 के प्रावधानों के अनुसार किराये पर आंवन्टी अप्रार्थी देवेन्द्रकुमार जैन को जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास को रिक्त करना था परन्तु एक माह की अवधि से भी अधिक होने के पश्चात् आदिनांक तक आवास को रिक्त नही किया है। अप्रार्थी को आवास संख्या III/118 A.V.S. रिक्त कर कब्जा सम्भलाये जाने हेतु प्रार्थी पक्ष द्वारा समुचित रूप से सूचित किया गया है बावजूद इसके अप्रार्थी ने राजकीय आवास संख्या आवास संख्या III/118 A.V.S. को रिक्त कर वापिस सम्भलाया नही है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया जाना कि अप्रार्थी का वापिस जयपुर विकास प्राधिकरण में स्थानान्तरण हो गया है और इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा गया है, कथन सारहीन है। अप्रार्थी को नियमानुसार पुनः आवास संख्या III/118 A.V.S. आंवटित नहीं किया गया है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जो प्रार्थी के कथन का खण्डन करते हो । अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध है कि आवास संख्या III/118 A.V.S. गांधीनगर, जयपुर राजकीय सम्पति है और अप्रार्थी, जिला रसद अधिकारी, II जयपुर के पद से उप खण्ड अधिकारी, पहाडी (भरतपुर) के लिये स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यमुक्त होने के एक माह पश्चात् रिक्त कर कब्जा सम्भलाया नही गया है, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा राजकीय आवास संख्या III/118 A.V.S. गांधीनगर, जयपुर पर अप्राधिकृत रूप से अधिवास किया जा रहा है, प्रार्थी, राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवास संख्या III/118 A.V.S., गांधीनगर, जयपुर को रिक्त कराये जाने हेतु पात्र है। अतः राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम,1964 की धारा 5 के अन्तर्गत आवास संख्या III/118 A.V.S. से अप्रार्थी अथवा जिस किसी के अनाधिकृत रुप से कब्जे में है, को बेदखल किया जाता है और अनाधिकृत रुप से काबिज को निर्देश दिये जाते है कि वे गांधीनगर, जयपुर स्थित राजकीय आवास संख्या III/118 A.V.S. को 15 दिवस में रिक्त कर प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर को कब्जा सम्भला दे। प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर को आदेश दिये जाते है कि आवास संख्या III/118 A.V.S., गांधीनगर, जयपुर के बाहर दरवाजे पर आदेश की एक प्रति चस्पा करें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

8/2/17

(सुनील भाटी)
ESTATE OFFICER
(Addl. District Magistrate Judl.)
JAIPUR